बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांकः – ब्लाडा (लेखा) 02/18/2022 513 /पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–02, जगदीशपुर का पत्रांक 3197 दिनांक 25.10.2025 एवं पत्रांक 3198 दिनांक 25.10.2025 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता हैः–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता/ दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिशत्	आधियाचित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2025-26	MLA	1200.00	796.00	795.23818	99.90	750.00	750.00
	MLC	359.39					
	Total	**1559.39**					
कुल							**750.00**

वित्तीय वर्ष **2025–26** के लिए अबतक आवंटित कुल राशि **₹1546.00** लाख रूपये की राशि को मदवार सामान्य मद–**₹1298.64** लाख रूपये, एस0सी0 मद–**₹247.36** लाख रूपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ–7 में अंकित राशि यथा **2025–26** के लिए कुल राशि **₹750.00** लाख **(सात करोड़ पचास लाख रूपये)** मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–02, जगदीशपुर को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तेंः–

(1) विमुक्त की गई राशि का व्यय भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2025 दिनांक 06.10.2025 का अक्षरशः पालन करते हुए व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(2) आवंटित की जा रही राशि वित्तीय वर्ष **2025–26** के लिए है, अतएव इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष **2025–26** में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(3) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(4) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् वर्ष **2011–12** से **2025–26** तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।

(6) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0/–
(रणजीत कुमार)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

ज्ञापांकः– ब्लाडा (लेखा) 02/18/2022 513 /पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक, (प्रभारी MKVY), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–02, जगदीशपुर को **₹750.00** लाख **(सात करोड़ पचास लाख रूपये)** मात्र **Fund Transfer** करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–02, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN एवं SC मद के अनुसार ही राशि **CFMS** के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/25

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी